outlets (petrol pumps) and to suspend supplies to those dealers against whom there is a *prima-facie* case of malpractices to be followed by termination of dealership.

कोयले के कुल निक्षेप

4304. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के कुल निक्षेप क्या हैं ; और

(ख) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोयले के निक्षेप कब तक पर्याप्त होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयला भण्डारों के नवीनतम निर्धारण के अनुसार 0.5 मीटर तथा उससे अधिक मोटाई के सीमों में तथा 600 मीटर की गहराई तक के कोयला भण्डारों की मात्रा 83,600 मिलियन टन है ।

(ख) ईंधन नीति समिति ने वर्ष 1974 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आशय व्यक्त किया था कि अब तक जिन भण्डारों का वर्गीकरण किया जा चुका है वह लगभग 250 वर्षों तक चलेंगे । फिर भी कोयला सीमों की खोज लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कोयले के अतिरिक्त भण्डारों की खोज की जा रही है ।

Scourings in Banks of Subarnarekha created havoc

4305. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Union Government are aware of the fact that the large scale scourings in both the banks of Subarnarekha river created havoc and many hundreds of people have been rendered homeless in the portion in Orissa State;

(b) if so, the action taken so far or proposed to be taken to prevent such scourings;

(c) whether the State Government of Orissa have asked the Centre for any financial help for taking measures; and

(d) if so, Centre's reaction on it?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDEY): (a) The Government of Orissa has reported that scouring takes place on both banks of the Subarnarekha river, but that it is not a fact that many hundreds of people have been rendered homeless in this area of the State.

(b) The State Government has completed anti-erosion works at 13 locations and work is proposed to be taken up at 10 other locations.

(c) and (d). The State Government of Orissa has not asked the Central Government for financial help specifically for such anti-erosion works.

मुगलसराय में यू० बल फिलिंग स्टेशन स्थापित करना

4306. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन मुगलसराय में एक 'दू बेल फिलिंग' स्टेशन स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम इस प्रयोजन हेतु मुगलसराय में अपनी भूमि का एक भाग देने के लिए तैयार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इस "फिलिंग स्टेशन" के कब स्थापित किये जाने की सम्भावना है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ताप बिजली घर, ओपरा

4307. **श्री जैनुल बशर** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में ओपरा के स्थान पर 1000 मैगावाट वाले एक ताप बिजली घर की स्थापना के लिए जापान से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड को एक जापानी फर्म से उत्तर प्रदेश में अनपारा 'बी' परियोजना के लिए टर्न की आधार पर 2 × 500 मेगावाट के एक कोल फायर्ड ताप विद्युत केन्द्र के अभिकल्प निर्माण, उत्थान तथा उसे चालू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। येन ऋण की व्यवस्था किए जाने के लिए कुछ सुझाव भी इस प्रस्ताव में शामिल है।

(ग) और (घ). अनपारा 'बी' परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है। परियोजना को तकनीकी-आर्थिक तौर पर स्वीकृति किए जाने तथा उस पर निवेश संबंधी निर्णय लिये जाने के पश्चात ही तथा उस समय पर सरकार की आयात नीति को ध्यान में रखते हुए ही जापानी फर्म के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

उर्दू में समाचार प्रसारित करने के लिए आवंटित समय

4308. श्री जैनुल बशर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू में समाचार प्रसारण के लिए निर्धारित किये गये समय में कमी कर दी गई है और इस प्रकार से बचाये गये समय में 'हालात हाजरा पर तब्सरा" कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या उर्दू में समाचारों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भाषाई समाचारों के प्रसारण के लिए दिए गये समय से कम है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होने वाले उर्दू के बुलेटिनों और "तब्सरा" की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) जबकि उर्दू समाचारों को आवंटित समय अंग्रेजी, और हिन्दी के समाचारों को आवंटित समय की तुलना में कम हैं, यह अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समान है।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों को अधिक लोगों द्वारा सुना जाता है।

Controversy over Film 'Lok Parlok'

4309. SHRI N. E. HORO:
SHRI NAVIN RAVANI:
SHRI JANARDHANA POOJARY:
SHRI CHIRANJI LAL SHARMA:
DR. VASANT KUMAR PANDIT:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there has recently been any controversy over the release of film 'Lok Parlok';

(b) if so, the details regarding the remarks which are reflecting on or not creating healthy impression of the Hindu Society; and

(c) whether any memorandum has also be submitted to Government by certain organisations in this regard, and if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI RAMDULARI SINHA): (a) to (c). Complaints have been received against the film "Lok Parlok" (Hindi). The Central Government is *Prima facie* of the opinion that the film makes a mockery of Hindu mythology in as much as an accusation has been made in the film against Lord Indra dubbing him as a womaniser without any morals and stooping to pimp for Menaka to safeguard his throne. The epithets "debauch" and "suppliers of girls" have been used for Lord Indra who is a very well respected God in Hindu mythology. Thus the film hurts the feelings of the Hindu community at large. The Central Government has therefore suspended the exhibition of the film for a period of two months with effect from 8-7-80 pending enquiry under Section 6 of the Cinematograph Act, 1952.